



Neutral Citation No.- 2026:AHC:56487

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 बीएनएसएस के तहत आवेदन संख्या - 5382 वर्ष 2026

कपिल कसाना

आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	आशीष मणि त्रिपाठी, मनु मिश्रा
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	कपिल त्यागी, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना

1. आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मनु मिश्रा और श्री आशीष मणि त्रिपाठी ने सीआरपीसी की धारा 91 के तहत आवेदन संलग्न करते हुए पूरक शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिसे अभिलेख में ले लिया गया है।
2. श्री मिश्रा ने प्रस्तुत किया है कि दिनांक 13.12.2023 को विचारण न्यायालय द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 103 वर्ष 2024 (राज्य बनाम कपिल कसाना) में दिये गए आदेश के तहत, जो मुकदमा अपराध संख्या 611 वर्ष 2023, अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 304 और 120बी आईपीसी, थाना टीला मोड़, जिला- ट्रांस हिंडन, गाजियाबाद आयुक्त कार्यालय से संबंधित है, सीसीटीवी फुटेज को पेन ड्राइव में प्राप्त किया गया था और आवश्यक प्रमाण पत्र के बिना ही आरोपी आवेदक को सौंप दिया गया था। इसके बाद दिनांक 25.09.2025 को आवेदक द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार उक्त आदेश के अनुपालन में आरोपी आवेदक को सौंपी गई पेन ड्राइव में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं है। इस आवेदन को विचारण न्यायालय ने दिनांक 09.12.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया। पीड़ित आवेदक ने धारा 528 बीएनएसएस के तहत इस न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का आह्वान करते हुए निर्देश जारी करने की मांग की है, क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र के बिना डिजिटल दस्तावेज का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि यह आरोपी आवेदक को उचित चरण में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रदान किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **कर्नाटक राज्य बनाम टी. नसीर नासिर उर्फ थंदियांताविदा नसीर उर्फ उमरहाजी उर्फ हाजी और अन्य** के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया है, जो **(2024) 16 एससीसी 729** में प्रकाशित हुआ है। प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 11 को नीचे दोहराया गया है:-

“11. अधिनियम की धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के चरण के संबंध में, इस न्यायालय ने अर्जुन पंडितराव खोटकर के मामले (उपरोक्त) में यह धारित किया था कि यदि मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है तो अधिनियम की धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र किसी भी चरण में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे दिए गए हैं:

56. अतः, सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, अभियोजन पक्ष मुकदमे की शुरुआत से पहले आरोपी को वे सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है जिन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इस प्रकार, आपराधिक मुकदमों में न्यायालयों द्वारा बाद के चरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने में शक्ति का प्रयोग आरोपी के लिए गंभीर या अपरिवर्तनीय पूर्वाग्रह का कारण नहीं बनना चाहिए। अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 91 या 311 दंड प्रक्रिया संहिता या साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत किसी भी आवेदन की जांच करते समय न्यायालय को पक्षों के अधिकारों के संबंध में संतुलन बनाए रखना होगा। प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर, और यह देखते हुए कि आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित होने से कोई पूर्वाग्रह नहीं है, न्यायालय उचित मामलों में अभियोजन पक्ष को बाद में ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। यदि आरोपी अपने बचाव के हिस्से के रूप में अपेक्षित प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना चाहता है, तो यह भी



मामले की न्यायसंगतता पर निर्भर करेगा और न्यायालय कानून के अनुसार अपने विवेक का प्रयोग करेगा।

59. उपरोक्त पैरा 52 और 56 में दिए गए अपवाद के अधीन रहते हुए, इन दोनों उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित कानून से हम सहमत हैं। जब तक किसी मुकदमे की सुनवाई समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक विद्वान न्यायाधीश द्वारा किसी भी स्तर पर अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जा सकता है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में निहित जानकारी को स्वीकार किया जा सके और उस पर भरोसा किया जा सके।"

(जोर दिया गया)

4. श्री कपिल त्यागी, प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय के निर्देशानुसार अभियुक्त आवेदक को डिजिटल साक्ष्य उपलब्ध करा दिए गए हैं। अभियुक्त आवेदक मुकदमे को टालने के लिए बार-बार आवेदन कर रहा है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यह वह चरण नहीं है जब अभियुक्त आवेदक को दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

5. इस न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

6. इस न्यायालय का मत है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65बी (4) में स्पष्ट रूप से डिजिटल साक्ष्य लेते समय प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनिवार्य आवश्यकता का प्रावधान है। धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा (4) को नीचे दोहराया गया है:-

(4) किसी भी कार्यवाही में, जहाँ इस धारा के आधार पर साक्ष्य के रूप में कोई कथन प्रस्तुत करना वांछित हो, तो निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करने वाला प्रमाण पत्र, अर्थात्-

(ए) बयान वाले इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की पहचान करना और उसे तैयार करने के तरीके का वर्णन करना;

(बी) उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के निर्माण में शामिल किसी भी उपकरण का ऐसा विवरण देना जो यह दर्शाने के लिए उपयुक्त हो कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कंप्यूटर द्वारा निर्मित किया गया था;



(सी) उपधारा (2) में उल्लिखित शर्तों से संबंधित किसी भी मामले

से निपटना,

और किसी जिम्मेदार आधिकारिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने का दावा करने वाला प्रमाण पत्र, जो संबंधित उपकरण के संचालन या संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन (जो भी उपयुक्त हो) से संबंधित हो, तो वह प्रमाण पत्र में उल्लिखित किसी भी बात का साक्ष्य होगा; और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी बात को बताने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार ही उसे बताना पर्याप्त होगा।”

7. उपरोक्त विधि को लगातार कई मामलों में न्यायिक जांच के दायरे में रखा गया है, जिनमें **गुरचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2017) 1 एससीसी 734** में प्रकाशित से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले **राजस्व खुफिया निदेशालय बनाम सुरेश कुमार एंड कंपनी इम्पेक्स (पी) लिमिटेड, (2026) 1 एससीसी 756** में प्रकाशित, तक शामिल हैं और जिसमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता (भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी(4)) का उल्लेख और स्पष्टीकरण किया गया है। अतः, विचारण न्यायालय, जिसके आदेश पर आवेदक को डिजिटल दस्तावेज उपलब्ध कराया गया था, संबंधित पक्ष को आवेदक को अनिवार्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश देने में संकोच नहीं करेगी। अतः, आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 1 गाजियाबाद के द्वारा दिनांक 09.12.2025 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है और विचारण न्यायालय को उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने और उसे आरोपी आवेदक को उचित समय पर विचारण न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

19 मार्च, 2026

शरद/-